न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट, (फा0ट्रै0) नगर

पीठासीन अधिकारी :– राजवीर सिंह यादव, आर0ए0एस0

मुकद्मा नम्बर :– 93/2013

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1. कजौडी
2. लल्लू | पिस0 भजनी

जातियान गुर्जर निवासियान ग्राम ठेकरी तहसील नगर जिला भरतपुर हाल निवासी बरखेडा साद तहसील नगर जिला भरतपुर

—— वादीगण

बनाम

1. जिला कलक्टर भरतपुर
2. तहसीलदार नगर तह0 नगर
3. नायब तहसीलदार सीकरी

—— प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88–89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित –

1. श्री अनिल कुमार गोयल, अधिवक्ता वादीगण।
2. पैरोकार सरकार

निर्णय दिनांक 22/12/17

वादीगण ने यह दावा इस आशय का संस्थित किया है कि साविक आ0ख0नं0 345 रकबा 3 बीघा, 347 रकबा 8 बीघा 15 विस्वा, 350 रकबा 6 बीघा 6 विस्वा, 352 रकबा 6 बीघा 18 विस्वा, किता 4 रकबा 24 बीघा 19 विस्वा सालिम व ख0न0 280,281,297,298,299,300,301,302,303,305 बाके ग्राम बरखेडा साद तहसील नगर रकबा 20 बीघा 10 विस्वा का हिस्सा 1/4 कुल रकबा 5 बीघा 3 विस्वा यानी कुल रकबा 30 बीघा 2 विस्वा मानकमल पुत्र पीयालाल वैश्य के स्वामित्व व आधिपत्य का रकबा था जिसने जरिये रजिस्ट्रर्ड वयनामा उक्त रकबा वादीगण को वय कर मौके पर दखल व कब्जा दे दिया था वयनामा के आधार पर वादीगण के नाम नामा0 संख्या 122 दिनांक 29.01.1967 को दर्ज हो चुका है उक्त साविक नम्वरान से दौराने भू प्रबंध हाल ख0न0 361/0.21, 362/0.27, 364/0.04, 390/0.08, 391/0.02, 357/0.43, 358/0.33, 359/0.32, 360/0.17, 363/0.31, 365/0.39, 366/0.46 बनाये गये जिसमें राजस्व कर्मचारियों कर गलती से इन्द्राज खातेदारी के स्थान पर गैर खातेदार दर्ज कर दिया गया। इस प्रकार गैर खातेदारी इन्द्राज करने से वादीगण को सख्त हक तलफी है

विदी है। वाद कारण की उतपत्ति दिनांक 15.01.2009 को प्रतिवादीगण के अधीनस्थ कर्मचारियों द्वारा वि0अ0 में मदाखलत मजाहमत करने कि चेष्ठा करने पर पैदा हुई विदी वजह वादीगण डिक्रि स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादीगण डिक्रि फरमाया जावें तथा वादीगण को आ0ख0न0 361/0.21, 362/0.27, 364/0.04, 390/0.08, 391/0.02, 357/0.43, 358/0.33, 359/0.32, 360/0.17, 363/0.31, 365/0.39, 366/0.46 में से हिस्सा 1/4 बाकें ग्राम बरखेडा साद तहसील नगर पर खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे एवं वर्तमान में हो रहे इन्द्राज गैर खातेदारी को कलमजन किया जावें तथा प्रतिवादीगण को जरिये डिक्रि हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबंद फरमाया जावें।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने जबाव दावा इस आशय का प्रस्तुत किया है कि विधिक प्राबधानों के अनुसार राज्य सरकार के विरूद्ध दावा दायर करने से पूर्व हस्व दफा 80 सी0पी0सी0 के तहत 2 माह का नोटिस दिया जाना कानूनी वाध्यता है। वादी द्वारा यह कहना कि वि0आ0 कस्टोडियन नहीं है गलत है। दावा में संलग्न सनद स0 26 दिनांक 27.08.1963 से कीमतन मानकमल पुत्र पियामल जाति वैश्य को आवंटित किस्टोडियम भूमि ख0न0 345,347,350,352,280,281,297,298,299,300,301,302,303,305 बाके ग्राम बरखेडा की है जिससे कस्टोडियन भूमि होना सावित है कस्टोडियन भूमि पर खातेदारी देने हेतु राज्य सरकार द्वारा अलग से नियम बनाये हुए है मानकमल को आवंटित भूमि की सनद स0 26 के पृष्ठाकिंत शरायते के क्रम स0 3 पर स्पष्ट रूप से अकिंत है कि जब तक अलौटी बकायात की मुकम्मिल अदायगी नहीं कर सकेगा और ऐसा करेगा तो वह वैध नहीं होगा इस प्रकार वादी के हक में दर्ज स्वीकृत नामा0 स0 122 गैर खातेदारी भूमि का हस्तांतरण होने से अवैध है अन्त में निवेदन किया है कि दावा वादी मय खर्चा खारिज फरमाया जावें।

दावा एवं जबाब दावा के आधार पर निम्न तनकी कायम की गई।

1. आया वादीगण कि वि0आ0 वर्णित वाद पत्र कि मद स0 4 में अपने आप को गैर खातेदार के स्थान पर खातेदार घोषित करा पाने के अधिकारी है? —— जिम्मे वादीगण

2. आया वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण डिक्रि स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है? —— जिम्मे वादीगण

3. आया वादीगण ने दावा दायरी से पूर्व दफा 80 सी0पी0सी0 का नोटिस नहीं दिया है जिससे दावा काबिल खारिज है? —— जिम्मे प्रतिवादीगण

4. आया वि0आ0 कस्टोडियन भूमि है जिसकी खातेदारी हेतु राज्य सरकार द्वारा पृथक से नियम बनाये गये है जिससे दावा काबिल खारिज है? —— जिम्मे प्रतिवादीगण

5. दादरसी ?

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबंदी हाल प्रदर्श 1, नकल नामा0 स0 122 प्रदर्श 2, नकल ख0 पत्रांक प्रदर्श 3, नकल सनद स0 26 प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी प्रदर्श 5, नकल नोटिस 80 सी0पी0सी0 मय रसीद प्रदर्श 6, दस्तावेजात प्रस्तुत किये है तथा मौखिक साक्ष में वादी कजौडी पी0डब्लू 1 गबाह नूरू खां पी0डब्लू 2 एवं मगंतू पी0डब्लू 3 के शपथ पत्र प्रस्तुत किये है

हमने उभयपक्ष की वहस सुनी तथा उनके द्वारा दिये गये तर्कों पर मनन किया । पत्रावली का अद्योपान्त ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 बाके ग्राम बरखेडा साद के खाता संख्या 390,391,357,358,359,360,363,365,366, किता 9 रकबा 2.51 है0 में अन्य हिस्सेदारान के साथ वादीगण कजौडी, लल्लू पिसरान भजनी व0हि0व0 1/4 हि0सा0 ठेकरी हाल आबाद देह कौम गूजर गैर खातेदार दर्ज है तथा ख0न0 361,362,364 किता 3 रकबा 0.89 है0 की बावत अन्य हिस्सेदारान के साथ कजौडी, लल्लू पिसरान भजनी कौम गूजर ठेकरी हि0 1/4 गैर खातेदार दर्ज है नकल ख0 भू प्रबंध विभाग स0 2028 के अनुसार हाल ख0न0 390 व 391 साविक ख0न0 305 से हाल ख0न0 357 साविक ख0 न0 299 से हाल ख0न0 358 साविक ख0न0 298 से हाल ख0न0 359 साविक से ख0न0 297 से हाल ख0न0 360 साविक ख0न0 303 से हाल ख0न0 363 साविक ख0न0 300 से हाल ख0न0 365,366 साविक ख0न0 281 से हाल ख0न0 361 साविक ख0न0 302 से हाल ख0न0 362 साविक ख0न0 301 से तथा हाल ख0न0 364 साविक ख0न0 280 से बनाया जाना साबित होता है नकल नामा0 स0 122 दिनांक 21.09.1967 ग्राम बरखेडा साद प्रदर्श 2 के अवलोकन से उक्त साविक ख0न0 280, 281,297,298,299,300,301,302,303,305 कुल रकबा 20 बीघा 10 विस्वा का 1/4 हिस्सा मानकमल पुत्र पुयामल कौम वैश्य सा0 देह गैर खातेदार के स्थान पर कजौडी, लल्लू पिसरान भजनी व0हि0व0 कौम गूजर सा0 ठेकरी गैर खातेदार के नाम जरिये वय नामा दर्ज होना पाया जाता है जिससे यह साबित होता है कि उक्त बयनामा गैर खातेदारी भूमि का ही कराया गया है इस प्रकार विवादीत आराजी पर सन् 1967 से ही वादीगण का कब्जा कास्त होना साबित होता है नकल सनद स0 26 दिनांक 27.08.1963 के अवलोकन से साबित होता है कि उक्त साविक ख0न0 मानकमल पुत्र पुयामल कौम वैश्य को कीमतन आवंटित किये गये है जिसकी पुस्त पर कुछ किस्तों

कि राशि जमा होने का विवरण अंकित है इस प्रकार विवादीत आ0 कस्टोरियन भूमि होना साबित है तथा कस्टोडियम भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान करने हेतु राज्य सरकार द्वारा पुनर्वास विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र क्रमांक/प.1(15)राज्य/पुनर्वास/2009 दिनांक 30.03.2012 जारी किया हुआ है जिनके निर्देशानुसार कमेटी गठित कर कमेटी द्वारा खातेदारी दिये जाने का प्रावधान है चूकिं वादीगण का सन् 1967 से उक्त वि0आ0 पर कब्जा कास्त साबित है लेकिन वि0आ0 कस्टोडियन भूमि होने के कारण राजस्थान कास्तकारी अधिनियम में वादी खातेदारी घोषणा पाने के अधिकारी नही है वादीगण खातेदारी प्राप्त करने हेतु कस्टोडियन के परिपत्र दिनांक 30.03.2012 के अनुसार कार्यवाही करनें के लिये स्वतंत्र है इस प्रकार उक्त विवेचन के अनुसार वादीगण का दावा डिक्रि किये जाने के योग्य नहीं पाया जाता है

अतः आदेश है कि – दावा वादीगण बावत खातेदारी उदघोषणा खारिज किया जाता है इसी प्रकार पर्चा डिक्री जारी हो ।

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर

निर्णय आज दिनांक 22/12/2017 को लिखाया जाकर सरेइजलास सुनाया गया ।

(राजवीर सिंह यादव)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फा0ट्रै0) नगर